

कॉम्प्यूटर पर फॉर्म नं-1617034 दिनांक 21-09-2016

पत्र संख्या-विधि-4 (a)/अधिनियम/नियमावली संशोधन-1/ (2016-2017)/

1641

// वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, 30प्र0

(विधि-अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: , 21 ,सितम्बर 2016

आदेश

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम- 2007 की धारा 4 (क) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आन लाइन क्रय अथवा ई-कामर्स के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट माल के प्रवेश पर कर संग्रहीत करने की निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

- 1- आन लाइन शॉपिंग अथवा ई- कामर्स द्वारा क्रय या आर्डर कर व्यवसाय के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत उपयोग के लिये राज्य के बाहर से स्थानीय क्षेत्र के भीतर पारेषित या लाये गये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की अनुसूची 1 में वर्णित माल से भिन्न सभी प्रकार के माल पर देय प्रवेश कर जमा करने का दायित्व ऐसे ट्रांसपोर्टर/कूरियर/ परिदान अभिकर्ता / अभिकर्ता / माल वाहक का होगा जो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से स्थानीय क्षेत्र में लायेगा तथा इस हेतु सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर/ कूरियर/ परिदान अभिकर्ता / अभिकर्ता / माल वाहक एवं ऐसे अन्य व्यक्ति को 30 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा - 17 (6) एवं 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली के नियम - 38 के अन्तर्गत सर्विस प्रदाता नम्बर (SPN) हेतु पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रदेश के अन्दर माल के प्रवेश के पूर्व माल परिवहनकर्ता ट्रांसपोर्टर/कूरियर/ परिदान अभिकर्ता / अभिकर्ता / माल वाहक को फार्म (EC) डाउनलोड करना होगा तथा माल के गन्तव्य स्थल पर पहुँचने तक परिवहन के दौरान माल के साथ रखना अनिवार्य होगा।
- 2- फार्म (EC) डाउनलोड करने के लिये परिवहनकर्ता को सर्वप्रथम विभागीय Portal पर <http://comtax.up.nic.in> पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय अपना सर्विस प्रोवाइडर नम्बर अंकित किया जायेगा तथा अपनी ई-मेल व मो0नम्बर अंकित करने के पश्चात फार्म (EC) के सम्मुख स्थित चेकबाक्स पर क्लिक करके Submit किया जायेगा।
- 3- उक्त रजिस्ट्रेशन फार्म का प्रिंटआउट लेकर तथा फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित कर उसे कर निर्धारण अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। प्रिंटआउट में उपलब्ध सूचना का सत्यापन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करने के पश्चात परिवहनकर्ता को फार्म डाउनलोड करने के लिये ऑनलाइन अनुमोदन किया जायेगा।
- 4- कर निर्धारण अधिकारी के ऑनलाइन अनुमोदन के पश्चात पासवर्ड परिवहनकर्ता के ई-मेल पर स्वतः प्रेषित हो जायेगा। यदि परिवहनकर्ता पूर्व से ही फार्म डाउनलोड के लिये अधिकृत है तो फार्म (EC) डाउनलोड करने का विकल्प परिवहनकर्ता के Login करने के पश्चात main menu में उपलब्ध हो जायेगा।
- 5- परिवहनकर्ता को फार्म डाउनलोड करने के पूर्व अग्रिम धनराशि विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा ऑफलाइन धनराशि जमा की जायेगी तो परिवहनकर्ता को सम्बन्धित कार्यालय के व्यापारी सुविधा केंद्र पर रसीद कटाना अनिवार्य होगा। परिवहनकर्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि का विवरण ऑनलाइन अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। इस कार्य के लिये परिवहनकर्ता के main menu में उपलब्ध "Advance Tax Entry for Form-EC" पर क्लिक किया जायेगा। ऑफलाइन भुगतान की स्थिति में रसीद संख्या, रसीद दिनांक, बैंक का नाम तथा धनराशि अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन भुगतान की स्थिति में परिवहनकर्ता द्वारा चालान संख्या, चालान दिनांक तथा धनराशि अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। परिवहनकर्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि के 20 गुने तक की धनराशि का माल आयात करने की अनुमति परिवहनकर्ता को होगी तथा इतनी धनराशि का फार्म (EC) ही डाउनलोड किया जा सकेगा।

6- माल के परिवहन से सम्बंधित विवरण को अंकित करने के लिये परिवहनकर्ता अपने Menu में फार्म (EC) Excel sheet download के विकल्प पर क्लिक करके डाउनलोड किया जायेगा। Excel sheet में अपना समस्त विवरण अंकित करने के पश्चात परिवहनकर्ता द्वारा उक्त Excel sheet को Login पर उपलब्ध अपलोडिंग के विकल्प से अपलोड किया जायेगा यदि Excel sheet में अंकित कुल धनराशि परिवहनकर्ता को अनुमन्य धनराशि से कम होगी तो परिवहनकर्ता उक्त संव्यहार के लिये "Generate Form-EC" के बटन पर क्लिक करके फार्म डाउनलोड कर सकता है। यदि Excel sheet में अंकित धनराशि परिवहनकर्ता को अनुमन्य धनराशि से कम होगी तो परिवहनकर्ता को पहले धनराशि को जमा करके उसका ऑनलाइन "Advance Tax Entry for Form-EC" विकल्प में अंकन अनिवार्य होगा।

7- यदि परिवहनकर्ता द्वारा पूर्व में जनरेट किये गये किसी फार्म (EC) से सम्बंधित संव्यवहार की माल वापसी होती है तो परिवहनकर्ता ऑनलाइन सम्बंधित फार्म नम्बर को अंकित करके तथा वापसी से सम्बंधित संव्यवहारों को चयनित करके "Return Goods" के बटन पर क्लिक करने पर आवेदन जनरेट हो जायेगा। यह आवेदन प्रत्येक कलेण्डर माह के संव्यवहारों के लिए जनरेट कर सम्बंधित प्रपत्रों के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन पर माल वापसी से सम्बंधित धनराशि परिवहनकर्ता के लिये अनुमन्य धनराशि में जुड़ जायेगी।

8- आन लाइन क्रय अथवा ई- कामर्स के माध्यम से माल लाने वाले ट्रान्सपोर्टर / कूरियर / प्रधान अभिकर्ता / अभिकर्ता / माल वाहक को नियमानुसार प्रवेश कर नियमावली में प्राविधानित फार्म - सी में मासिक रिटर्न आन लाइन दाखिल करना अनिवार्य होगा।

कृपया उक्त प्रक्रिया का समुचित प्रचार-प्रसार करते हुए अपने अधीनस्थ को भी निर्देशित करते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

 21/09/16

(मुकेश कुमार मिश्रा)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, 30प्र० शासन की सेवा में सूचनार्थ।
- 2- समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर / समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक/ वि०अनु०शा०) / समस्त कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायें।

 21/09/16.

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश